बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0– AL-942/74/2022-SEC_8- -1623/– अपर मुख्य सचिव द्वारा दिनांक–14.01.2022 को निबंधन कार्यालयों की समीक्षा के क्रम में जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर में श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल के कर्तव्य अवधि में जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर के अभिलेखागार से दिनांक–08.01.2022 को अवैध कार्य करते हुए श्री बबलू नामक बाह्य व्यक्ति को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने का मामला प्रकाश में आने के कारण पत्रांक–452, दिनांक–24.01.2022 द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर के पत्रांक 1121 दिनांक–31.10.2023 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–4905, दिनांक–26.11.2024 द्वारा प्रभारी अभिलेखपाल श्री बिरजू कुमार, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसके अनुपालन में उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त आलोक में श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–3177, दिनांक–12.06.2025 द्वारा जिला अवर निबंधक, भोजपुर को मंतव्य सहित विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके अनुपालन में जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–958, दिनांक–27.06.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रभारी अभिलेखपाल का यह कहना है कि ''वाह्य व्यक्ति किसके अनुमति से नीचे पुरानी अभिलेखागार में प्रवेश किए मैं नहीं जानता'' काफी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। वस्तुतः अभिलेखपाल ही अभिलेखागार के विधिवत् संचालन, सुरक्षा एवं देख–रेख के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। खासकर वैसी स्थिति में जब अधिसूचित जिला अवर निबंधक अवकाश में थे तब अभिलेखपाल की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस तरह प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बिरजू कुमार, प्रभारी अभिलेखपाल द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सम्यक, रूप से नहीं किया गया तथा इसमें शिथिलता बरती गयी। इनका यह कार्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपी कर्मी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया। अतएव समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, (भभुआ) को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3(1) के तहत सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के संदर्भ में प्रमाणित आरोप के फलस्वरूप श्री कुमार विभागीय आदेश–4513 दिनांक–12.08.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत धारा के अधीन लघु दण्ड के रूप में दो (02) वेतन वृद्धि का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया जिसके विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिनांक–08.10.2025 को सुनवाई की गयी।

2. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) क्या अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रकियाओं का सर्वथा पालन किया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पा रही है ?

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है?

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है ?

12.08.26

3. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख की जॉच की गई। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम में एवं अपील आवेदन में अपना पक्ष रखा है कि दोनों वाह्य व्यक्ति लाईसेसधारी प्रशिक्षु कातीव को जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा डरा–धमका कर लिखवाया गया कि आप दोनों लिखिए कि अभिलेपाल के कहने पर कार्यालय परिचारी श्री सत्यनारायण राम के साथ कैथी भाषा में लिखें अभिलेख को पढ़वाने के लिए ले गये थे।

4. जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपित कर्मी के द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संलग्न अनुलग्नको का छायाप्रति की विवेचना से यह स्पष्ट है कि जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभारी अभिलेखपाल का यह कहना है कि "दोनों व्यक्ति किसके अनुमति से नीचे पुरानी अभिलेखागार में प्रवेश किए मैं नहीं जानता" काफी गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। वस्तुतः अभिलेखपाल ही अभिलेखागार के विधिवत् संचालन, सुरक्षा एवं देख–रेख के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। खासकर वैसी स्थिति में जब अधिसूचित जिला अवर निबंधक अवकाश में थे तब अभिलेखपाल की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस तरह प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बिरजू कुमार, प्रभारी अभिलेखपाल द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन सम्यक, रूप से नहीं किया गया तथा इसमें शिथिलता बरती गयी। इनके द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) के प्रतिकूल कार्य किया गया है जिसके समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी कर्मी को दो (02) वेतन वृद्धि का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। निष्कर्ष जॉच पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से समर्थित है। आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

6. अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपीलार्थी श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

7. अतएव उक्त के आलोक में श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

8. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– AL-942/74/2022-SEC_8-1623/–
पटना, दिनांक– 13.03.26

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा)/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, कैमुर, (भभुआ)/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, (आरा)/जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमुर, (भभुआ)/जिला अवर निबंधक, भोजपुर, (आरा)/जिला अवर निबंधक, कैमुर, (भभुआ)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री बिरजू कुमार, अभिलेखपाल, तत्कालीन जिला निबंधक, भोजपुर, (आरा) सम्प्रति जिला निबंधन कार्यालय, कैमुर, (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

12.03.26